



F-07-08

F-07-11

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1278 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number - 1278**

विषय / Sub : सर्वो ओईपी-70 (ऑइल ओईपी-70)  
**Servo OEP - 70 (Oil OEP - 70)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड, आर एंड डी सेंटर, सेक्टर-13, फरीदाबाद - 121 007, द्वारा विकसित तथा मेसर्स इंडियन ऑइल ब्लेंडिंग लिमिटेड, प्लॉट सं. डी-100, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कुक्षेत ग्राम, वाशी, नवी मुंबई - 400 705 द्वारा उत्पादित "सर्वो ओईपी-70 (ऑइल ओईपी-70)", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1278, दिनांक 14 अगस्त 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1278 जारी किया गया था। यह अनुमोदन तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1278/1आर, दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

*This is to state that the "Servo OEP - 70 (Oil OEP - 70)", developed by M/s Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre, Sector - 13, Faridabad - 121 007 and manufactured by M/s Indian Oil Blending Limited, Plot No. D -100, TTC Industrial Area, Kukshet Village, Vashi, Navi Mumbai - 400 705 was issued with Type Approval No.:1278 vide Ref. No.: CEMILAC /5070 /TA - 1278, dated: 14<sup>th</sup> August 2007. The approval was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1278/1R, Dated: 31<sup>st</sup> July 2012 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), बेंगलूरु - 560 017 द्वारा एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), Bengaluru - 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 1278, दिनांक 14 अगस्त 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1278, dated: 14<sup>th</sup> August 2007 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”


*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1278/2R  
दिनांक / Date : 25 November 2017  
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

BR  
JR  
2/11

  
(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)